

सेवा में,

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
2. जिला परियोजना अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जनपद।
उत्तराखण्ड।

पत्रांक :- रा.प.नि. / 752 / प्रशा.-प्रतिनियुक्ति / 2017-18 दिनांक 22 अगस्त, 2017

विषय :- समन्वयक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार मुक्त किये जाने/कार्यभार ग्रहण किये जाने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या रा0प0का0/742/प्रशा0-प्रतिनियुक्ति/2017-18 दिनांक 21 अगस्त 2017 के द्वारा विभिन्न जनपदों एवं राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर रिक्त समन्वयकों के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यालय आदेश जारी किये गये हैं। इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा द्वारा वर्तमान में विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एवं छात्र/छात्राओं के अध्ययन-अध्यापन को सुचारू बनाये रखने के दृष्टिगत चयनित अभ्यर्थियों को कार्यमुक्त किये जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर सम्प्रति अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखे जाने के मौखिक निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सम्प्रति किसी भी अभ्यर्थी को न तो कार्यमुक्त किया जाय न ही कार्यभार ग्रहण कराया जाय।

भवदीय

msj

22-8-2017

(कैप्टन आलोक शेखर तिवारी)

राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0:- रा.प.नि./752/प्रशा.-प्रतिनियुक्ति/2017-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निजी सचिव, माननीय मंत्री विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

msj

(कैप्टन आलोक शेखर तिवारी)

राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड, देहरादून।